

18-19-17  
जारी पत्र है। कृपया उपर्युक्त पत्र को  
सब जगह में बाँटा है। कृपया पत्र जमावापस  
दिनांक 6/11/17 को वापस लें।

वकील शर्मा उपरोक्त शर्मा पद वास्तविक वकील शर्मा  
को चुना गया। वकील शर्मा ने बताया कि 22मि  
खण्ड नं० 1658 खण्ड 1.59 है एवं नये खण्ड नं० 1827  
जो राजस्व ग्राम चला में स्थित है। उक्त शर्मा को  
सैरलमेन्ट से पूर्व शंकर एवं पुत्र नजीर एवं  
अनीर एवं पुत्र इला अरावर - अरावर हिले या रूपने  
जीवनकाल में काबिज कायेंत थे। 22मि डि (कोलेटरी  
सैरलमेन्ट के दौरान शंकर पुत्र नजीर के नाम दर्ज  
हुई) इसी अनुसार इनके भी दर्ज होनी रही। शंकर  
पुत्र नजीर को शंकर एवं पुत्र वजीर के नाम से भी  
जाना पहचाना जाता है। इसका वास्तविक नाम शंकर  
पुत्र वजीर एवं जिला ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस  
प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र वेग रिज है। तहसीलदार  
नीमकाधान द्वारा भी अटि को इम्वेस्ट करने की  
कमिशनरी की है। ऊ० शर्मा पद वकील पद प्राप्त  
जावे एवं इच्छा की जावे।

वकील शर्मा को चुनने के पश्चात  
जगवली व जगवली में उपलब्ध रिकार्ड का  
कवलेकन किया गया एवं तहसीलदार नीमकाधान  
के रिपोर्ट का कवलेकन किया गया। राजस्व ग्राम  
चला की जमावदी से 2071-2074 के कवलेकन से  
पाया कि 22मि खण्ड नं० 1827 की कोलेटरी शंकर पुत्र  
नजीर एवं अनीर एवं पुत्र इला कोम मुसलमान कलाल  
साधेह के नाम दर्ज रिकार्ड है। वकील शर्मा द्वारा  
उक्त रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत सिरोही द्वारा जारी मृत्यु

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत लपंच द्वारा दिनांक 21/12/2015 द्वारा जारी वादिल डकान मंत्र में शर्मा का नाम शंकर पुं नजीर खां दर्ज है। एवं तहसीलदार नीमकायान डि रिपोर्ट के इक्वेलेशन से पाया गया कि शंकर पुं नजीर खां एवं शंकर पुं नजीर खां दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा उक्त जूटि को तहसीलदार नीमकायान ~~इक्वेलेशन~~ कंपनी रिपोर्ट में इक्वेल किया जाना उचित बताया है। इस लकी से शर्मा का शर्मा पर रिमांड इक्वेली का होना पाया जाता है एवं लाकिल होना है। इसलिए इस आधार पर शर्मा का शर्मा पर स्वीकार किया जाना उचित लगता है।

ऊपर उल्लेखित विवेचन के आधार पर शर्मा का शर्मा पर अनुवृत्ति धारा 136 L.R. Act के तहत पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकायान को इंडिया दिया जाता है कि राजस्व ग्राम - खला की गन्नाबंदी से 2011-2014 के खाल से 520 में दर्ज (नवंबर शंकर पुं नजीर खां के हयान पर शंकर पुं नजीर दर्ज कर राजस्व रिमांड में इक्वेली करें। नदरदार इक्वेली देड तहसीलदार नीमकायान को तहसीर जारी की जावे। पत्रवली केलेड शुमार रोड नम्बर से कम होकर इक्वेल दफ्तर से।

जा  
(जगदीश उलाद शॉड)  
(उपखण्ड अधिकारी)  
नीमकायान